(98)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 378-दो/2001 - विरूद्ध आदेश दिनांक 03-02-2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 491/1992-93 अपील

1- गंगा पुत्र भागीरथी कहार
2- कन्हई पुत्र भागीरथी कहार
ग्राम बगदरी तहसील चितरंगी
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

लखपती वक्स पुत्र अब्दुल हकीम
ग्राम बगदरी तहसील चितरंगी
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---- अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जे0पी0 सिंह)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री राजभान सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 07-6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क्र0 491/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-2-2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने संबत 2015 अर्थात सन 1958-59 में ग्राम बगदरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 633 में से अंश रकबा 0.85 एकड़ भागीरथी कहार से कय किया। विकय पत्र अनुसार केता अनावेदक का आदेश दिनांक 30-6-63 से नामान्तरण हुआ। आवेदकगण ने नामान्तरण आदेश दिनांक 30-6-63 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत

की। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने नामान्तरण आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय में पुर्नसुनवाई की गई तथा आदेश दिनांक 7-12-1992 से केता अनावेदक का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण कमांक 22/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-1993 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी देवसर के आदेश दिनांक 31-3-1993 के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 491/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-2-2001 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी देवसर के आदेश दिनांक 31-3-1993 को निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने संबत 2015 अर्थात सन 1958-59 में ग्राम बगदरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 633 में से अंश रकबा 0.85 एकड़ भागीरथी कहार से कय किया है। विकय पत्र अनुसार केता अनावेदक का आदेश दिनांक 30-6-63 से नामान्तरण हुआ है। विकेता की मृत्यु उपरांत आवेदकगण ने उसके पुत्र होने के आधार पर नामान्तरण आदेश दिनांक 30-6-63 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष 35 वर्ष वाद अपील की है तब क्या 35 वर्ष के लम्बे अंतराल वाद प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा गुणदोष के आधार पर श्रवण कर निर्णय देना न्यायोचित है? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 सहपपठित म्याद अधिनियम 1963 - अत्याधिक समयवाधित अपील - 35 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील का निवटारा नहीं किया जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तन का पूवदिश तथा पुर्नआदेश दिनांक 31-3-1993 त्रुटिपूर्ण

है जिसके कारण ऐसे दोषपूर्ण आदेशों को निरस्त करने में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने त्रुटि नहीं की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया तहसील न्यायालय में मूल मामला दखलकार अधिनियम के अंतर्गत अथवा संहिता की धारा 185 के अंतर्गत विचार किया जाना था। विक्रय पत्र अपॅजीकृत था इसलिये ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करना न्याय की श्रेणी में नहीं है जिसे अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने निरस्त करने में त्रुटि नहीं की है किन्तु अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने भ्रॉतिपूर्ण अर्थ निकाल कर अनुविभागीय अधिकारी देवसर के आदेश दिनांक 31-3-93 को निरस्त करने में भूल की है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे।

आवेदकगण अभिभाषक के तर्को के प्रकाश में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 491/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-2-2001 का परिशीलन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा विवेचित किया गया है वाद विचारित भूमि के क्रय विक्रय के समय भूमि का मूल्य मात्र 85/-रू. आदान प्रदान हुआ है जिसके कारण रू. 100 से कम विक्रय मूल्य का तत्समय पंजीयन अनिवार्य नहीं होने से आदेश दिनांक 30-6-63 से केता का नामान्तरण हुआ है। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त आपत्तियों पर आदेश दिनांक 3-2-2001 में विस्तृत विवेचना करके निष्कर्ष निकाले हैं जिनसे असहमत होने का कोई कारण नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 491/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-2-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर